भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †212

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

बीड़-बिलिंग के पैराग्लाइडर्स की सुरक्षा

†212. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य के बीड़-बिलिंग सारे विश्व के पैराग्लाइडर्स के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है;

(ख) क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते समय होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते समय दर्ज की गई मृत्यु की कुल संख्या क्या है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश के बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडर्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2020 से 19.07.2024 तक टेंडम और सोलो फ्लाइट्स में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने बताया है कि मृत्यु का कारण पैराग्लाइडर्स का दुर्घटनाग्रस्त होना है।

साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन, साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का दायित्व है।

तथापि, साहसिक गतिविधियों से जुड़े जोखिम को कम करने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के साथ

मिलकर 'भारत में साहसिक पर्यटन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों' पर "भारतीय साहसिक पर्यटन दिशानिर्देश (संस्करण 2.0) - 2018" जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में साहसिक पर्यटन के लिए मूलभूत न्यूनतम मानकों की सूची दी गई है और इसमें भूमि, वायु और जल-आधारित गतिविधियों से जुड़े 31 कार्यक्षेत्र शामिल हैं। सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को इन दिशा-निर्देशों को अपनाने और लागू करने की सलाह दी गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है। राष्ट्रीय कार्यनीति का एक प्रमुख कार्यनीतिक स्तंभ साहसिक पर्यटन सुरक्षा प्रबंधन कार्यढांचे को मजबूत बनाना है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- टेक ऑफ और लैंडिंग स्थलों पर मार्शल तैनात किए गए हैं।
- टेक ऑफ और लैंडिंग स्थलों में सुरक्षा की दृष्टि से सुधार किया गया है।
- जिला तकनीकी समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
- पैराग्लाइडरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं।

*****